दिनांक 28.03.2025
प्रेस विज्ञप्ति 45/2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद बरेली/थाना सिरौली

- **पुलिस कार्यवाही में 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 मोटर साइकिल**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनॉकः 28.03.2025 को थाना सिरौली पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम लीलौर झील के पास बदमाश की घेराबन्दी की गयी तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त विशाल घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 01 मोटर साइकिल, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना सिरौली पर पंजीकृत अभियोग में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध जनपद बरेली के विभिन्न थानों पर लूट, हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट आदि के 09 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना सिरौली पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–विशाल निवासी ताड़ी खाना रोड, आजमनगर थाना कोतवाली जनपद बरेली।

बरामदगी

1–01 मोटर साइकिल।

2–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

जनपद हरदोई/थाना संडीला

- **पुलिस कार्यवाही में 02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूटे गये चॉदी के आभूषण**
- **01 कार**
- **02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनॉकः 27.03.2025 को थाना संडीला व थाना बेनीगंज की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर संडीला–बेनीगंज मार्ग बरूआ मोड़ के पास चेकिंग के दौरान कार सवार बदमाशों को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1–मो0 वकील अहमद घायल हो गया, जिसे अभियुक्त 2–पिंकू सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूटे गये चॉदी के आभूषण, 01 कार, 02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि थाना संडीला क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना संडीला पर अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी व माल की बरामदगी के प्रयास किये जा रहे थे।

इस सम्बन्ध में थाना संडीला पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–मो0 वकील अहमद निवासी दानपुरवा जहांगीराबाद थाना सदरपुर जनपद सीतापुर।

2–पिंकू निवासी ग्राम सकरन थाना सकरन जनपद सीतापुर।

बरामदगी

1–लूटे गये चॉदी के आभूषण।

2–01 कार ।

3–02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

जनपद मुजफ्फरनगर/थाना कोतवाली नगर

- **पुलिस कार्यवाही में 03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 06 मोटर साइकिल**
- **03 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद**

दिनांक 28.03.2025 को थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बामनहेडी पुल के पास चेकिंग के दौरान मोटर साइकिल सवार बदमाशों को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त इनाम घायल हो गया, जिसे अभियुक्त 2—संजय 3—अंकित कुमार सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 06 मोटर साइकिल, 03 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद हुए। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त इनाम के विरूद्ध जनपद सहारनपुर, मुजफ्फरनगर के विभिन्न थानो में लूट, चोरी, आबकारी एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 09 अभियोग, एवं अभियुक्त संजय व अंकित कुमार के विरूद्ध जनपद मुजफ्फरनगर व दिल्ली के विभिन्न थानो में चोरी आदि के 03—03 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद मोटर साइकिल आदि चोरी की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—इनाम निवासी पठानपुरा थाना देवबंद जनपद सहारनपुर, हालपता ग्राम जड़ौदा थाना मंसूरपुर जनपद मुजफ्फरनगर।

2—संजय निवासी आर्य बाजार तोपखाना मेरठ कैंट थाना लालकुर्ती जनपद मेरठ।

3—अंकित कुमार निवासी लच्छेडा थाना मंसूरपुर जनपद मुजफ्फरनगर।

<u>बरामदगी</u>

1—चोरी की 06 मोटर साइकिल।

2—03 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि।

<u>एएनटीएफ/आपरेशनल यूनिट आगरा</u>

- **08 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 70 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 140 किलोग्राम अवैध गांजा**
- **6150/—रूपये नगद**
- **07 मोबाइल फोन**
- **03 आधार कार्ड, 01 पैन कार्ड, 02 डी0एल0, 02 एटीएम**
- **02 कार**
- **01 ट्रक बरामद**

दिनॉकः 27.03.2025 को एएनटीएफ/आपरेशनल यूनिट आगरा द्वारा सूचना के आधार पर इशान कालेज ऑफ इन्जीनियरिंग की बाउन्ड्रीवाल के सामने एनएच—19 थाना फरह जनपद मथुरा से 08 अभियुक्तों 1—राधाबल्लभ 2—संजय खान 3—कंचन उर्फ भगत 4—पंकज 5—संतोष 6—गुड्डू 7—लोकेन्द्र 8—धर्मेन्द्र को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 70 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 140 किलोग्राम अवैध गांजा, 6150/—रूपये नगद, 07 मोबाइल फोन, 03 आधार कार्ड, 01 पैन कार्ड, 02 डी0एल0, 02 एटीएम, 02 कार, 01 ट्रक बरामद हुआ।

इस सम्बन्ध में थाना फरह जनपद मथुरा पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1—राधाबल्लभ निवासी मालीपाडा टंकी गली राधाकुण्ड थाना गोवर्धन जनपद मथुरा।

2—संजय खान निवासी मोहन कालोनी सेक्टर—02 निहालगंज धौलपुर, राजस्थान।

3–कंचन उर्फ भगत निवासी आरके पुरम नगरिया दसविसा, कोसीकलां जनपद मथुरा।

4–पंकज निवासी लज्जा की गढी धौलपुर, राजस्थान।

5–संतोष निवासी लज्जा की गढी धौलपुर, राजस्थान।

6–गुड्‌डू निवासी मुक्खा मरहैला नौझील बांगर, मथुरा।

7–लोकेन्द्र निवासी रंजीत की गढ़ी खैर अलीगढ़।

8–धर्मेन्द्र निवासी कमालपुरा टप्पल अलीगढ़।

बरामदगी

1–लगभग 70 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 140 किलोग्राम अवैध गांजा।

2–6150/–रूपये नगद।

3–07 मोबाइल फोन ।

4–03 आधार कार्ड, 01 पैन कार्ड, 02 डी0एल0, 02 एटीएम।

5–02 कार।

6–01 ट्रक।

जनपद चित्रकूट/थाना कोतवाली कर्वी

- **01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 05 मोटर साइकिल, 01 ई–रिक्शा बरामद**

दिनांक 28.03.2025 को थाना कोतवाली कर्वी पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर पथरौड़ी मोड़ के पास से अभियुक्त लियाकत को गिरफ्तार किया गया। एक अन्य अभियुक्त मौके से फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है, गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से चोरी की 05 मोटर साइकिल, 01 ई–रिक्शा बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली कर्वी पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–लियाकत निवासी काशीराम कॉलोनी लोढ़वारा थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट।

बरामदगी

1–चोरी की 05 मोटर साइकिल, 01 ई–रिक्शा।

- **<u>जनपद बाराबंकी/थाना मसौली (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 80 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद बाराबंकी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बाराबंकी द्वारा थाना मसौली पर पंजीकृत अभियोग में धारा 363/376 भादवि व 3/4 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त दीपू को आजीवन कारावास व 80 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद गोरखपुर/थाना बड़हलगंज (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 03 अभियुक्तो को आजीवन कारावास की सजा व 25–25 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद गोरखपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा थाना बड़हलगंज पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/201 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1–दिलीप 2–राजवली उर्फ भग्गन 3–अभियुक्ता को आजीवन कारावास व 25–25 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद अम्बेडकरनगर/थाना कोतवाली आलापुर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 13 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद अम्बेडकरनगर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद अम्बेडकरनगर द्वारा थाना कोतवाली आलापुर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/34/323/506 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त रामअवध को आजीवन कारावास व 13 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद आजमगढ़/थाना बरदह (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 10 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद आजमगढ़ पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना बरदह पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त प्रहलाद को आजीवन कारावास व 10 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद गोरखपुर/थाना झगहां (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तों को सश्रम आजीवन कारावास की सजा व 14–14 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद गोरखपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा थाना झगहां पर पंजीकृत अभियोग में धारा 498ए/302/34 भादवि व 4 डीपी एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त 1–संदीप 2–रामअवतार को सश्रम आजीवन कारावास व 14–14 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

एसटीएफः अन्तर्राज्यीय स्तर पर अवैध शराब की तस्करी करने वाले गिरोह का 01 सदस्य भारी मात्रा में अवैध अंग्रेजी शराब के साथ गिरफ्तार।

दिनांक 27–03–2025 को एस0टी0एफ0, उ0प्र0 को अन्तर्राज्यीय स्तर पर अवैध शराब की तस्करी करने वाले गिरोह के 01 सदस्य को भारी मात्रा में अवैध अंग्रेजी शराब के साथ गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः–

1– कपिल वर्मा करवल पुत्र गुरवचन दास निवासी म0नं0 168, सेक्टर–52, थाना सेक्टर–36, चण्डीगढ़।

बरामदगीः–

1– 459 पेटी अलग–अलग ब्राण्ड की अवैध अंग्रेजी शराब।

2– 10,230/– रूपये नगद।

3– 02 अदद मोबाईल फोन।

4– 01 अदद डीएल।

5– 01 अदद एटीएम कार्ड।

6– 01 अदद आधार कार्ड।

7– 01 अदद टाटा ट्रक नं0 पीबी–65 एएच–3597

8– 700 बोरी वालपुट्टी।

गिरफ्तारी का दिनांक समय व स्थानः

दिनांक 27—03—2025 समय 08.30 बजे सायं थाना काकोरी, जनपद—लखनऊ।

एस0टी0एफ0 उ0प्र0 को विगत काफी समय से उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों के रास्ते बिहार राज्य में अवैध शराब की तस्करी होने की सूचनायें प्राप्त हो रहीं थी। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की विभिन्न इकाईयों/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया, जिसके अनुपालन में श्री सत्यसेन यादव अपर पुलिस अधीक्षक, एस0टी0एफ0 उ0प्र0, लखनऊ के पर्यवेक्षण में अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

अभिसूचना संकलन के क्रम में निरीक्षक श्री प्रमोद कुमार उ0नि0 वीरेन्द्र सिंह यादव, मु0आ0 प्रभात कुमार, विजेन्द्र नाथ राय, नीरज कुमार मिश्र, नीरज कुमार, आरक्षी अमित कुमार एसटीएफ लखनऊ की टीम जनपद लखनऊ में भ्रमणषील थी। इस दौरान विश्वसनीय सूत्रों के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई कि वालपुट्टी के बोरियों के बीच में चण्डीगढ़ से अवैध शराब छिपाकर अवैध तरीके से बिहार राज्य में सप्लाई किया जा रहा है। इस सूचना पर एसटीएफ टीम द्वारा आगरा लखनऊ एक्सप्रेस—वे टोल प्लाजा थाना क्षेत्र काकोरी, जनपद लखनऊ से 01 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से उपरोक्त बरामदगी हुई।

गिरफ्तार अभियुक्तो ने पूछताछ में बताया कि उनका एक गिरोह है, जो बिहार राज्य में शराब बन्दी होने के कारण बिहार में अवैध रूप से शराब की सप्लाई करता है। पंजाब एवं हरियाणा राज्य से अवैध रूप से अंग्रेजी शराब प्राप्त करते है जिसे बिहार राज्य के अलग—अलग जनपदों में सप्लाई करते है। इस बार यह अवैध शराब चण्डीगढ़ निवासी राहुल ने लोड कराया था, जिसे बिहार के समस्तीपुर पहॅुचने पर यह पता चलता कि यह माल किसे और कहॉ देना है। इस काम के लिए प्रति चक्कर रू0 50 हजार इसे मिलता है।

गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना काकोरी, जनपद लखनऊ में मु0अ0सं0 91/2025 धारा 318(4)बीएनएस व 60/63/72 आबकारी अधि0 का अभियोग पंजीकृत कराया गया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जायेगी।

———————